

7/5/17

आज यह पत्रावली वादी द्वारा प्राथम पत्र  
 पेश करने पर पेशी में ली गयी। प्राथम  
 पत्र में निवेदन किया गया है कि वादी उक्त  
 अनवानी मुकदमा को लोक अदालत की शक्ति  
 से विद्वा करना चाहता है। वादी की पहचान  
 उनके वकील श्री नन्द कुमार सोनगरा एड द्वारा  
 पहचान की गयी है। प्राथम पत्र स्वीकार  
 किया जाता है दावा जाति विद्वा स्वारीज  
 किया जाता है दावा फैसल कुमार होकर  
 बाद तरीक तकमील दाविल दफ्तर है।

7/5/17

काम